

**कार्यालय**  
**मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम**  
**वन विभाग, हरियाणा सरकार,**  
**वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406**

कमांक: - 1170

दिनांक: - 15/7/21

सेवा में: -

वन मण्डल अधिकारी,  
फरीदाबाद।

**विषय: Diversion of 0.95 hac. of forest land for establishment of Sunrock recreational complex at Village Ankhir, under Forest division district Faridabad Haryana. (FP/HR/Other/45071/2020)**

**सन्दर्भ: आपका पत्र कमांक 226 दिनांक 29.06.2021**

सन्दर्भांकित पत्र द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईं जो निम्नप्रकार हैं:-

1. विषयांकित प्रस्ताव की चैकलिस्ट संख्या 7 व 8 में परिवर्तन हेतू दर्शाये गये कुल 0.95 है० भूमि में कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र व कितना भाग पी०एल०पी० ~~के~~ के अन्तर्गत आता है। इसे चैकलिस्ट में स्पष्टरूप से अंकित किया जाए।
2. प्रस्तावित केस के चैकलिस्ट संख्या 10 में प्रस्तावित भूमि गांव अंखिर के किला न० 7 में दर्शाई गई है जबकि प्रयोक्त एजेंसी द्वारा दिए गए शपथ पत्र में प्रस्तावित क्षेत्र खाता/खतोनी न० 480/6828, खेवट न० 208/182 मिन खतोनी न० 247 आदि में दर्शाया गया है जो कि स्पष्ट किया जाए।
3. प्रस्ताव के प्रस्तावित भूमि की मलकीयत से सम्बन्धित कोई दस्तावेज सलंगन नहीं है।
4. प्रस्तावित केस की प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाते समय पुराने रेट अंकित किए हैं।
5. प्रस्ताव के साथ डी०टी०पी० द्वारा जारी एन०ओ०सी०/सी०एल०यू० नहीं भेजा। प्रयोक्ता एजेंसी से डी०टी०पी० द्वारा जारी एन०ओ०सी०/सी०एल०यू० की प्रति प्राप्त करके भेजें।
6. प्रस्ताव के साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 की अनुपालना से सम्बन्धित जिलाधीश का प्रमाण पत्र नहीं भेजा।

अतः प्रस्ताव मूलरूप व online वापिस भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त त्रुटियां दूर करके पुनः प्रस्ताव भेजा जाए।

सलंगन/उपरोक्त

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,  
गुरुग्राम।